

हरियाणा सरकार
प्रशासकीय सुधार विभाग
अधिसूचना

दिनांक 15 फरवरी, 2016

संख्या 7/31/2014-3ए.आर.,- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार प्रशासकीय सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए.आर., दिनांक 7 मई, 2015 के अधिक्रमण में हरियाणा के राज्यपाल, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं, दिए गए समय जिसके भीतर ये नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी है, पदभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं :-

अनुसूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	दी गई समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्व	(i) फर्द केन्द्र स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् अधिकारों का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि	1 दिन	ड्यूटी पटवारी-1	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
		(ii) गाँव स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् अधिकारों का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 5 से कम है)	2 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
		(iii) गाँव स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् सेवा का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 5 से अधिक किन्तु 15 से कम है)	3 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
		(iv) गाँव स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् सेवा का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 15 से अधिक है)	7 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट

2.	राजस्व	भूमि का सीमांकन यदि खड़ी फसल नहीं खड़ी तो	45 दिन	सर्किल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
3.	राजस्व	सभी प्रकार के दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन अर्थात् विक्रय, भागीदारी विलेख इत्यादि	1 दिन	उप रजिस्ट्रार या संयुक्त उप रजिस्ट्रार (उप तहसीलों के मामले में)	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
4.	राजस्व	सभी प्रकार के पूर्व रजिस्टर्ड दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ	7 दिन	उप-रजिस्ट्रार या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार (उप तहसीलों के मामले में)	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
5.	राजस्व	अविवादित इन्तकाल का सत्यापन	30 दिन	सर्किल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
6.	राजस्व	भूमि का निजी बटवारा भूमि स्वामियों की आपसी सहमति	60 दिन	सर्किल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
7.	राजस्व	आय प्रमाण-पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
8.	राजस्व	क्षेत्र/उत्तराधिकार/आश्रित प्रमाण-पत्र/प्रतिहस्ताक्षर इत्यादि	15 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
9.	राजस्व	रहन प्रथम प्रभार (मोटोगेज फर्स्ट चार्ज)	15 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
10.	राजस्व	हस्तांतरण विलेख का रजिस्ट्रेशन	1 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
11.	राजस्व	पट्टे से पूर्ण स्वामित्व में रूपांतरण	30 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
12.	राजस्व	अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
13.	राजस्व	पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
14.	राजस्व	अन्य पिछड़ा जाति प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
15.	राजस्व	विशेष पिछड़ी जाति प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
16.	राजस्व	टपरीवास प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
17.	राजस्व	विमुक्त जाति प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
18.	राजस्व	आर्थिक रूप से पिछड़ी सामान्य जाति प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
19.	राजस्व	आवास प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
20.	राजस्व	ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
21.	खादय एवं औषध	औषध निर्माण अनुज्ञा का नवीनीकरण	45 दिन	राज्य औषध नियंत्रक	आयुक्त, खादय एवं औषध प्रशासन	अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य

	प्रशासन					विभाग
22.	खाद्य एवं औषध प्रशासन	बल्क दवाओं / योगों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करना	15 दिन	राज्य औषध नियंत्रक	आयुक्त, खाद्य एवं औषध प्रशासन	अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग
23.	स्वास्थ्य	जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियां -ग्रामीण क्षेत्र(पहले से पंजीकृत) चालू वर्ष के लिए पूर्व वर्षों के लिए	14 दिन 30 दिन	जिला रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु सम्बद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सम्बद्ध जिले के उप सिविल सर्जन(जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध जिले का रजिस्ट्रार जन्म तथा मृत्यु- सम्बद्ध जिले का सिविल सर्जन	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
24	स्वास्थ्य / शहरी स्थानीय निकाय	पूर्ण आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण पर जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण(घटना के एक वर्ष बाद)	60 दिन (रजिस्ट्रार , जिला रजिस्ट्रार तथा सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रत्येक के लिए 20 दिन)	सम्बद्ध रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार	सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य)	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
25.	स्वास्थ्य / शहरी स्थानीय निकाय	जन्म तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र (नाम प्रविष्टि तथा नया जन्म प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियां)	30 दिन	सम्बद्ध स्थानीय/अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं उप सिविल सर्जन, जो भी लागू हो।	सम्बद्ध जिले का रजिस्ट्रार एवं सिविल सर्जन (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
26.	स्वास्थ्य	पूर्ण आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण के बाद जन्म तथा मृत्यु की प्रविष्टि का शुद्धिकरण	30 दिन	सम्बद्ध स्थानीय/ यथा लागू जिला रजिस्ट्रार	सम्बद्ध जिले का रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
27.	स्वास्थ्य / शहरी स्थानीय निकाय	(i) जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियां-नगर निगम शहर चालू वर्ष के लिए पहले से ही पंजीकृत (ii) जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियां-नगर कस्बों चालू वर्ष के लिए पहले से ही पंजीकृत	14 दिन 30 दिन 7 दिन 15 दिन	सम्बद्ध नगर निगम के स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु) सम्बद्ध नगर निगम के स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध नगर निगम का कार्यकारी अधिकारी सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
28.	शहरी स्थानीय निकाय	जल आपूर्ति तथा मलवहन कनेक्शन (केवल नगर निगम गुड़गांव तथा फरीदाबाद में लागू)	7 दिन	सम्बद्ध नगर निगम में सहायक अभियन्ता	सम्बद्ध नगर निगम में कार्यकारी अभियन्ता	सम्बद्ध नगर निगम में अधीक्षक अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता
29.	शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगम, नगर परिषद, नगर समितियों में हस्तांतरण अभिलेख जारी करना	15 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी, सम्बद्ध नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी तथा सम्बद्ध नगर पालिका समिति में सचिव	नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त, परिषदों तथा समितियों के मामले में सम्बद्ध उप मण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त, परिषदों तथा समितियों के मामले में सम्बद्ध जिला का उपायुक्त
30.	शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगम द्वारा नई व्यवसाय अनुज्ञप्ति जारी करना	15 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी	नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त
31	शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगमों द्वारा व्यावसाय अनुज्ञप्ति का	12 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान	नगर निगम में कार्यकारी	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त

		नवीकरण		अधिकारी	अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त	
32.	शहरी स्थानीय निकाय	गलियों/सड़कों से ठोस अपशिष्ट हटाना	2 दिन	नगर निगम में मुख्य सफाई निरीक्षक, सम्बद्ध नगर परिषद में मुख्य सफाई निरीक्षक तथा नगर पालिका समिति में सफाई निरीक्षक	निगम शहरों के मामले में कार्यकारी अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त, नगर परिषदों के मामले में कार्यकारी अधिकारी तथा नगर पालिका समिति के मामले में सचिव	निगम शहरों के मामले में संयुक्त आयुक्त, नगर पालिका कस्बों के मामले में सम्बद्ध उप मण्डल का उप मण्डल अधिकारी
33.	शहरी स्थानीय निकाय	स्ट्रीट लाइट्स का प्रतिस्थापन	10 दिन	निगम शहरों में सहायक अभियन्ता, सम्बद्ध नगर पालिका परिषद तथा समितियों में कनिष्ठ अभियन्ता	निगम शहरों के मामले में कार्यकारी अभियन्ता, सम्बद्ध नगर पालिका परिषदों तथा समितियों में नगर पालिका अभियन्ता	निगम शहरों के मामले में अधीक्षक अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता सम्बद्ध नगर पालिका परिषदों तथा समितियों में सम्बद्ध उपमण्डल का उप मण्डल अधिकारी
34.	शहरी स्थानीय निकाय	वाटर लिकेज/सिवरेज ब्लॉक/ओवर फ्लो (नगर निगम गुडगांव तथा फरीदाबाद के मामले में)	2 दिन	नगर निगम गुडगांव या फरीदाबाद के सम्बन्ध में निगम शहरों में सहायक अभियन्ता	नगर निगम फरीदाबाद तथा गुडगांव के मामले में कार्यकारी अभियन्ता	नगर निगम फरीदाबाद तथा गुडगांव के मामले में अधीक्षक अभियन्ता /कार्यकारी अभियन्ता
35.	शहरी स्थानीय निकाय	(i) 1000 वर्गमीटर तथा उससे अधिक के लिए वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोग के सिवाय सभी उपयोगों तथा आकारों के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहरी स्थानीय निकाय	नगर पालिका परिषद/समितियों के मामले में सम्बद्ध उपमण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तथा नगर निगम के मामले में सम्बद्ध नगर निगम का आयुक्त	नगर पालिका परिषद/समितियों के मामले में सम्बद्ध जिले का उपायुक्त तथा नगर निगम के मामले में प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग
		(ii) 1000 वर्गमीटर से 5000 वर्गमीटर के स्थलों के लिए वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोग के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
		(iii) 5000 वर्गमीटर तथा से अधिक के स्थलों के लिए वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोग के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहरी स्थानीय निकाय	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार

		(iv) नगर पालिका गुड़गांव तथा फरीदाबाद में भूमि उपयोग मामले में परिवर्तन के लिए अनुमति की भवन योजना का अनुमोदन (5 एकड़ तक)	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर निगम गुड़गांव / फरीदाबाद	आयुक्त नगर निगम गुड़गांव / फरीदाबाद	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
		(v) 5 एकड़ से अधिक के स्थलों के लिए गुड़गांव तथा फरीदाबाद में तथा अन्य नगर निगमों/परिषदों/समितियों में भूमि उपयोग मामले में परिवर्तन के लिए अनुमति की भवन योजना का अनुमोदन	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर शहरी स्थानीयनिकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीयनिकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
36.	शहरी स्थानीय निकाय	नगर पालिका सीमाओं के भीतर आने वाले विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों के भीतर स्थित स्थलों के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन की अनुमति सिवाय उन मामलों में जहां सरकार की सक्षमता है	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
37.	शहरी स्थानीय निकाय	अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनकरण	15 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप-मण्डल का एस0डी0ओ0 (सिविल), नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त नगर निगम मामले में संबंधित निगम का आयुक्त

38	शहरी स्थानीय निकाय	<p>निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन के मामले में अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना:-</p> <p>क) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की ऊंचाई के होटल (ए-5)</p> <p>ख) 8000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की ऊंचाई के शैक्षिक भवन (बी)</p> <p>ग) संस्थागत भवन (सी)</p> <p>i) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के अस्पताल, सैनोटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिंग होम (सी-1)</p> <p>ii) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के कस्टोडियल (परीक्षक) तथा दण्डिक तथा प्लैन्टल</p> <p>घ) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5)</p> <p>ड) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के मर्केटाइल और व्यापार भवन (इ, एफ-1 एण्ड एफ-2)</p> <p>च) औद्योगिक भवन (जी)</p> <p>(i) ऊंचाई में 15 मीटर से कम</p>	60 दिन	अग्नि अधिकारी केन्द्र	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप- मण्डल का एसडीओ (सिविल), नगर निगम के मामले में सम्बन्धित निगम का संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित जिले का उपायुक्त नगर निगम मामले में सम्बन्धित निगम का आयुक्त
----	--------------------	--	--------	-----------------------	---	---

		<p>किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र कम खतरनाक (जी-1)</p> <p>(ii) उंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र (साधारण खतरनाक (जी-2)</p> <p>(iii) उंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र (उच्च खतरनाक (जी-3)</p> <p>(छ) उंचाई में 15 मीटर से कम तथा 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र के भण्डारण भवन (एच)</p>				
39	शहरी स्थानीय निकाय	<p>निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन के मामले में अग्नि अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ. सी.) जारी करना:-</p> <p>(क) आवासीय भवन (ए):-</p> <p>i) 15 मीटर तथा उससे अधिक किन्तु उंचाई में 35 मीटर से अधिक की शयनशाला (ए-3) तथा फ्लैट गृह (अपार्टमेंट हाउस)(ए-4)</p> <p>ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के होटल (ए-5)</p> <p>(ख) 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के शैक्षणिक भवन (बी)</p>	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का आयुक्त	नगर निगम के मामले में अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग जबकि नगर परिषद द्वारा समितियों के मामले में निदेशक शहरी स्थानीय निकाय।

	<p>(ग)संस्थागत भवन (सी)</p> <p>i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के अस्पताल, सैनाटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिंग होम (सी-1)</p> <p>ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के कस्टोडियल(सी-2) (परीक्षक) तथा दण्डिक तथा प्लैन्टल (सी-3)</p> <p>(घ)4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम उंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5)</p> <p>(ड.)4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के मर्केटाईल और व्यापार भवन (ई. एफ-1 तथा एफ-2)</p> <p>(च)औद्योगिक भवन(जी)</p> <p>(i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के कम खतरनाक (जी-1) औद्योगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2)</p> <p>(ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग</p>				
--	--	--	--	--	--

		मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उचाई के साधारण खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उचाई के औद्योगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3) (छ) औद्योगिक भण्डारण भवन (एच) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र के प्लॉट सहित 15 मीटर से कम उचाई के भण्डारण भवन ।				
40.	शहरी स्थानीय निकाय	क्रम संख्या 38 तथा 39 में न आने वाले भवनों के मामले के राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवनों के मामले में अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना ।	60 दिन	अग्नि अधिकारी मुख्यालय	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय	अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग ।
41.	शहरी स्थानीय निकाय	निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवनों के मामले में अग्निशमन स्कीम का अनुमोदन तथा नवीनकरण:- क) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की उंचाई के होटल (ए-5) ख) 8000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की उंचाई के शैक्षिक भवन (बी) ग) संस्थागत भवन (सी) i) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप-मण्डल का एसओडीओ (सिविल), नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त नगर निगम मामले में संबंधित निगम का आयुक्त

		<p>ऊंचाई के अस्पताल, सैनोटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिंग होम (सी-1);</p> <p>ii) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के कस्टोडियल (परिक्षक)(सी-2) तथा दण्डक तथा प्लैन्टल(सी 3)</p> <p>घ) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के सभा भवन (डी 1 से डी 5), ड 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के मरकाटाईल एवं व्यापार भवन (इ, एफ-1 एवं एफ-2)</p> <p>च) औद्योगिक भवन (जी)</p> <p>(i) ऊंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र (कम खतरनाक (जी-1)</p> <p>(ii) ऊंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र (साधारण खतरनाक) (जी-2)</p> <p>(iii) ऊंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र (उच्च खतरनाक (जी-3)</p> <p>(छ)ऊंचाई में 15 मीटर से कम तथा 4000 वर्ग मीटर तक के प्लाट क्षेत्र के भण्डारण भवन (एच)</p>				
--	--	---	--	--	--	--

42.	शहरी स्थानीय निकाय	<p>निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन के मामले में अग्नि अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ. सी.)जारी करना:-</p> <p>(क) आवासीय भवन (ए):-</p> <p>(i) 15 मीटर तथा उससे अधिक किन्तु उंचाई में 35 मीटर से अधिक नही की शयनशाला (ए-3) तथा फ्लैट गृह (अपार्टमेंट हाउस)(ए-4)</p> <p>(ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के होटल (ए-5)</p> <p>(ख) 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के शैक्षणिक भवन (बी)</p> <p>(ग)संस्थागत भवन (सी)</p> <p>(i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के अस्पताल, सैनाटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिंग होम (सी-1)</p> <p>(ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र के 10 मीटर से कम उंचाई कसटोडियल (सी-2)और पैनल एवं पैलैन्टल (सी-3)</p>	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का आयुक्त	अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग। नगर समिति तथा परिषद के मामले में निदेशक शहरी स्थानीय निकाय।
-----	--------------------	---	--------	-----------------------	---	---

		<p>(घ)4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम उंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5)</p> <p>(ड.)4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ-1 तथा एफ-2)</p> <p>(च)औधोगिक भवन (जी)</p> <p>(i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के औधोगिक भवन कम खतरनाक (जी-1)</p> <p>(ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के औधोगिक भवन औधोगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2)</p> <p>(iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के औधोगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3)</p> <p>(छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के भण्डारण भवन (एच)</p>				
43.	शहरी स्थानीय निकाय	41 तथा 42 में न आने वाले भवनों के	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	अपर मुख्य सचिव, शहरी

		मामलों में राष्ट्रीय भवन को नामावली के अनुसार भवनों के मामले में अग्नि शमन स्कीम का अनुमोदन तथा नवीनकरण।				विकास
44	शहरी स्थानीय निकाय	सम्पत्ति कर रजिस्टर में मालिक/अधियोगी का परिवर्तन/मृत्यु मामले के सिवाए	15 दिन	सचिव/ई.ओ./सम्बद्ध नगर समिति/परिषद/निगम में जोनल कराधान अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप-मण्डल का एस.डी.ओ (सिविल) नगर निगम के मामले में सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में सम्बन्धित निगम का आयुक्त
45	शहरी स्थानीय निकाय	सम्पत्ति कर रजिस्टर में मालिक/अधियोगी का परिवर्तन/मृत्यु मामले में	45 दिन	सचिव/ई.ओ./सम्बद्ध नगर समिति/परिषद/निगम में जोनल कराधान अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप-मण्डल का एस.डी.ओ (सिविल) नगर निगम के मामले में सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में सम्बन्धित निगम का आयुक्त
46						
47						
48.	जन स्वास्थ्य इंजिनियरिंग	(i) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में जलपूर्ति के कनेक्शन की स्वीकृति	12 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
		(ii) शहरी तथा एम सी शहर में सीवरेज के कनेक्शन की स्वीकृति	12 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
49.	जन स्वास्थ्य इंजिनियरिंग	(i) वाटर रिसाव/पाईप से ओवरफ्लो	3 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
		(ii) सीवरेज में रूकावट/मेन होलों में से बाहर सीवर का पानी बहना	7 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
		(iii) जलापूर्ति सुचारु करना जो कि छोटी गडबडी जैसे कि पम्पिंग मशीनरी, बिजली की तार, वितरण प्रणाली में खराबी इत्यादि के कारण उत्पन्न हुई हो।	3 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
		(iv) जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को ठीक करना जैसा कि कच्चे पानी की कमी ट्रांसफार्मर का	6 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक

		जलना और एलटी/एच टी लाईनों में बाधा				अभियन्ता
		(v) जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को ठीक करना जैसा कि ट्रांसफार्मर का जलना, बिजली की दूसरी मुख्य बाधाएँ जो जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठीक/मुरम्मत की जानी है।	10 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
50.	विद्युत	नार्मल फ्यूज ऑफ कॉल शहरों तथा कस्बों में	4 घंटे	सम्बद्ध लाईनमैन/ शिकायत केन्द्र में शिफ्ट इंचार्ज	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0(ओ0पी0)
		ग्रामीण क्षेत्र में	16 घंटे	सम्बद्ध लाईनमैन/ शिकायत केन्द्र में शिफ्ट इंचार्ज	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0(ओ0पी0)
51.	विद्युत	ओवरहेड लाईन ब्रेकडाऊन्स		कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		शहरों तथा कस्बों में	8 घंटे			
		ग्रामीण क्षेत्र में	16 घंटे	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
52.	विद्युत	ब्रेकेज पोलस के कारण ओवरहेड लाईन ब्रेकडाऊन्स		कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		शहरों तथा कस्बों में	48 घंटे			
		ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
53.	विद्युत	अन्डरग्रान्ड कैबेल्स ब्रेकडाऊन्स		कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		शहरों तथा कस्बों में	48 घंटे			
		ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
54.	विद्युत	डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर फैलियुर		कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		शहरों तथा कस्बों में	24 घंटे			
		ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
55.	विद्युत	मैजर पॉवर फैलियुर इन्वाल्विंग पॉवर ट्रांसफॉर्मर/ इक्युपमेन्ट	7 दिन	एक्स0ई0एन0 / कन्सट्रक्शन	एस0ई0 (ओ0पी0)	सी0ई0 (ओ0पी0)
		प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति फिर से चालू करने के लिए रददोबदल प्रबन्धन	24 घंटों			
56	विद्युत विद्युत	शैडयूल्ड आऊटैज की अवधि	किसी दिन में आठ घंटे से अधिक नहीं	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		(क) सिंगल स्ट्रैच में अधिकतम अवधि				
		(ख) रेस्टोरेशन सप्लाई	किसी भी दिन सांय 6 बजे तक	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
57.	विद्युत	नेटवर्क इन्वोल्वड के बिना विस्तार/ इन्हानसमेंट के साथ वोल्टेज फलकचूयेशन		कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		नगर तथा कस्बे	4 घण्टे	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		ग्रामीण क्षेत्र-मीटर टैसटिंग	8 घण्टे			

58.	विद्युत	मीटर शिकायतें						
		(i) निरीक्षण तथा सहीपन जांच करना – मीटर की टस्टिंग फीस की प्राप्ति के बाद	7 दिन	कनिष्ठ (इंचार्ज)	अभियंता	एस0डी0ओ0(ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)	
		(ii) स्लो/फास्ट मीटर/क्रीपिंग / स्टक/ डिफेक्टिव मीटर का बदलना	चैकिंग पर इसके स्थापित किये जाने के 7 दिन के भीतर	कनिष्ठ (इंचार्ज)	अभियंता	एस0डी0ओ0(ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)	
		(iii) जले हुए मीटर का बदलना यदि उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है।	7 दिन	कनिष्ठ (इंचार्ज)	अभियंता	एस0डी0ओ0(ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)	
(iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना – उपभोक्ता द्वारा प्रभारों के भुगतान के बाद	24 घंटे	कनिष्ठ (इंचार्ज)	अभियंता	एस0डी0ओ0(ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)			
59.	विद्युत	नये कनेक्शन/ अतिरिक्त लोड/ मांग देना			एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)	एस0ई0(ओ0पी0)	
		(a) कनेक्शन देना जहां सेवाएं विद्यमान नेटवर्क से व्यवहार्य है	30 दिन					
		(b) कनेक्शन देना जहां नेटवर्क एक्सपेंशन/ इनहान्समेंट कनेक्शन देने के लिए अपेक्षित है (सिवाय कृषि)						
		(i) एल0टी0कनेक्शन के लिए	30 दिन			एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)	एस0ई0(ओ0पी0)
		(ii) 11 के0वी0 कनेक्शन के लिए	71 दिन			एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)	एस0ई0(ओ0पी0)
(iii) 33 के0वी0 कनेक्शन के लिए	90 दिन के भीतर			एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)	एस0ई0(ओ0पी0)	सी.ई.(ओ.पी.)		
(iv) 33 के0वी0 स्तर कनेक्शन से अधिक	90 दिन			एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)	एस0ई0(ओ0पी0)	सी.ई.(ओ.पी.)		

60.	विद्युत	<p>शीर्ष का हस्तांतरण तथा सेवाओं का रूपांतरण</p> <p>(क) शीर्ष का हस्तांतरण तथा प्रवर्गों का परिवर्तन</p> <p>(ख) एल0टी0एकल फेज से एल0टी 3 फेज में संपरिवर्तन या परस्पर-भूगतान प्रभार की तिथि से</p> <p>(ग) एल0टी0 से ई0एच0टी0 का संपरिवर्तन या परस्पर-भूगतान प्रभार की तिथि से</p> <p>(घ) एच0टी0 से ई0एच0टी0 का संपरिवर्तन या परस्पर-भूगतान प्रभार की तिथि से</p>	<p>7 दिन</p> <p>30 दिन</p> <p>30 दिन</p> <p>30 दिन</p>	<p>एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)</p> <p>कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)</p> <p>कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)</p> <p>कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)</p>	<p>एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)</p> <p>एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)</p> <p>एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)</p> <p>एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)</p>	<p>एस0ई0 (ओ0पी0)</p> <p>एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)</p> <p>एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)</p> <p>एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)</p>
61	विद्युत	<p>मीटर/सेवा कनेक्शन और अन्य सेवाओं को बदलना ।</p> <p>(i) मीटर/सेवा कनेक्शन को बदलना</p> <p>(ii) 11 के0वी0 तक एल0टी0/एच0टी0 लाईनों को बदलना ।</p> <p>(iii) 11 के0वी0 से अधिक एच0टी0 लाईनों को बदलना ।</p> <p>(iv) ट्रांसफार्मर को बदलना ।</p>	<p>15 दिन</p> <p>45 दिन</p> <p>45 दिन</p> <p>60 दिन के भीतर ।</p>	<p>कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)</p> <p>उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)</p> <p>उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)</p> <p>उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)</p> <p>उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)</p>	<p>उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)</p> <p>कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)</p> <p>कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)</p> <p>कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)</p> <p>कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)</p>	<p>कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)</p> <p>अधीक्षक अभियंता (आपरेशन)</p> <p>अधीक्षक अभियंता (आपरेशन)</p> <p>अधीक्षक अभियंता (आपरेशन)</p>
62.	विद्युत	<p>उपभोक्ता बिल के बारे शिकायत और आपूर्ति को पुनः स्थापित करना ।</p> <p>यदि कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित नहीं है ।</p> <p>यदि कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित है ।</p>	<p>24 घंटे</p> <p>7 दिन</p>	<p>वाणिज्यिक सहायक</p> <p>वाणिज्यिक सहायक</p> <p>वाणिज्यिक सहायक</p>	<p>उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)</p> <p>उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)</p> <p>उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)</p>	<p>कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)</p> <p>कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)</p> <p>कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)</p>
63.	विद्युत	<p>बिलों के भुगतान न करने के कारण काटी गई आपूर्ति को पुनः जोड़ना ।</p>		<p>कनिष्ठ अभियंता</p>	<p>उपमण्डल अधिकारी</p>	<p>कार्यकारी</p>

		शहरों और नगरों – उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति बाद।	6 घंटे	(प्रभारी)	(आपरेशन)	अभियंता (आपरेशन)
		ग्रामिण क्षेत्र – उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति बाद।	12 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)
64	परिवहन	(i) नौ सिखिया चालन लाइसेंस (सारथी सम्बन्धित सेवाएं) जारी करना	5 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(ii) स्थाई चालन लाइसेंस (सारथी सम्बन्धित सेवाएं) जारी करना ।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(iii) चालन लाइसेंस का नवीकरण ।	37 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(iv) डुप्लीकेट चालन लाइसेंस जारी करना	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(v) चालन लाइसेंस में नई श्रेणी का पृष्ठांकन	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
65	परिवहन	कन्डक्टर लाइसेंस जारी करना	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
66	परिवहन	(i) नये वाहनो का पंजीकरण ।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(ii) स्वामित्व का अंतरण ।	37 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(iii) अनापति प्रमाण पत्र जारी करना ।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(iv) डुप्लीकेट आर0सी0 जारी करना ।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(v) कर समाशोधन प्रमाण पत्र ।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(vi) एच0पी0ए0 परिवर्धन/ विलोपन	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

				प्राधिकारी का आर0ए0/आर0टी0ए		
67	आवासन बोर्ड	अनापत्ति प्रमाण पत्र/डुप्लीकेट आवटन/पुनः आवटन पत्र जारी करना ।	21 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव, आवासन बोर्ड, हरियाणा
68	आवासन बोर्ड	(i) हस्तांतरण पत्र जारी करना । (ii) साधारण मुख्तारनामा के माध्यम से हस्तांतरण पत्र जारी करना ।	15 दिन 45 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव, आवासन बोर्ड, हरियाणा
69.	आवासन बोर्ड	बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना ।	30 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
70.	आवासन बोर्ड	विक्रय के मामलों में सम्पत्ति का अंतरण	15 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
71	आवासन बोर्ड	मृत्यु के मामलों में सम्पत्ति का अंतरण (अविवादित)	45 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
72.	आवासन बोर्ड	गिरवी के लिए अनुमति जारी करना	7 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
73.	आवासन बोर्ड	किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति	7 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
74.	आवासन बोर्ड	स्वामित्व का परिवर्तन (मृत्यु मामले से अन्यथा)	45 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
75.	आवासन बोर्ड	प्लॉट का सीमांकन	21 दिन	उपमण्डल अभियंता	कार्यकारी अभियंता	मुख्य अभियंता
76.						
77.						
78	कृषि	बीज विक्रेता का लाईसेंस	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
79	कृषि	कीटनाशक विक्रेता का लाईसेंस	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
80	कृषि	पावती रसीद/ उर्वरक विक्रेता का प्राधिकार पत्र	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
81	कृषि	बीज विक्रेता के लाईसेंस का नवीनकरण	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
82	कृषि	पावती रसीद/ उर्वरक विक्रेता के प्राधिकार पत्र का नवीनकरण	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
83	कृषि	बीज विक्रेता के लाईसेंस की नकल	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
84	कृषि	कीटनाशक विक्रेता के लाईसेंस की नकल	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
85	कृषि	पावती रसीद/ उर्वरक विक्रेता के प्राधिकार पत्र की नकल	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
86	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	अनापत्ति प्रमाण पत्र /डुप्लीकेट आंबटन जारी करना ।	30 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0

87	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	हस्तांतरण पत्र जारी करना	30 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
88	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
89	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	विक्रय के मामलों में सम्पत्ति का पुनः अंतरण	30 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
90.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	विक्रय के मामलों में सम्पत्ति का पुनः अंतरण (अविवादित मृत्यु)	60 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
91.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	किसानों को जे0 फार्म जारी करना	1 दिन	मण्डी पर्यवेक्षक या सहायक सचिव	डी0एम0ई0ओ0	डी0एम0ई0ओ0
92.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	कृषि कार्यों के दौरान किसी चोट या मृत्यु के लिए कृषकों को वित्तीय सहायता (अनुगृहपूर्वक) प्रदान करना मृत्यु केसों में विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद चोट के केसों में	30 दिन, 60 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जै0एम0ई0ओ0
93	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	गिरवी के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जै0एम0ई0ओ0
94.	उद्योग एवं वाणिज्य	एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट, 2006 के अधीन उद्यमियों की ज्ञापन-1 की पावती जारी करना	3 दिन	संयुक्त निदेशक / उप निदेशक	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य
95	उद्योग एवं वाणिज्य	एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट, 2006 के अधीन उद्यमियों की ज्ञापन-11 की पावती जारी करना	3 दिन	संयुक्त निदेशक / उप निदेशक	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य
96.	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर पंजीकरण	10 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
97.	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर पंजीकरण का नवीकरण	7 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
98	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर के परिवर्तन, हेरफेर, मरम्मत के लिए अनुमोदन	7 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
99	उद्योग एवं वाणिज्य	लुब्रीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाइ तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के लिए अनन्तिम अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
100	उद्योग एवं वाणिज्य	लुब्रीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाइ तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन ट्रेडिंग के लिए अनन्तिम अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य

		के अनुमोदन				
113	हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	भवन योजना / पुनरीक्षित भवन योजना की स्वीकृति (औद्योगिक / आवासीय)	15 दिन	सम्बद्ध उपनगर योजनाकार / वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध निदेशक
114	हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	भवन योजना / पुनरीक्षित भवन योजना की स्वीकृति (वाणिज्यिक)	30 दिन	सम्बद्ध उपनगर योजनाकार / वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध निदेशक
115	हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	भवनों के लिए समापन / अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध उपनगर योजनाकार / वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध निदेशक
116	हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	अनापत्ति प्रमाण पत्र / डुप्लीकेट आबंटन / पुनः आबंटन पत्र जारी करना	20 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
117	हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	हस्तांतरण विलेख	15 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
118	हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	बेबाकी प्रमाण पत्र	15 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
119	हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	विक्रय आदि के मामले में प्लॉटों का अंतरण	30 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
120	हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	प्लॉटों का स्थानान्तरण (अनकान्टेसिटेड)	45 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
121	हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	गिरवी जारी करने के लिए अनुमति	30 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
122	हरियाणा राज्य	किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति	3 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक

	ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड					
123	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	स्वामित्व परिवर्तन (मृत्यु मामलों से अन्यथा)	30 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
124	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	प्लॉटों का सीमांकन	5 दिन	एस0 टी 0पी	सी0टी0पी0	प्रबन्ध निदेशक
125	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	कुरसी सार तक प्रमाण पत्र जारी करना	7 दिन	डी0 टी0 पी0 / एस0 टी 0पी	सी0टी0पी0	प्रबन्ध निदेशक
126	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	जल एवं सीवरेज कन्वेंशन	15 दिन	डी जी एम/ए जी एम औद्योगिक सम्पदा	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
127	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	आई ई/आई डी ए में भूमि/शेड का आबंटन	60 दिन	डी जी एम/ए जी एम औद्योगिक सम्पदा	जी एम, हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक
128	खाद्य तथा आपूर्ति	(i) डी-1 फार्म प्राप्त होने पर राशन कार्ड जारी करना जैसे कि सभी वर्ग के लिए प्रार्थना फार्म (ii) परित्याग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना । (iii) दूसरा राशन कार्ड जारी करना (iv) परिवार के सदस्य का समावेस/ विलोप (v) उसी क्षेत्राधिकार में पता बदलना । (vi) पता बदलने के अंतर्गत एफ0पी0एस0 बदलना (सभी वर्गों के राशन कार्ड)	22 दिन 15 दिन 15 दिन 15 दिन 15 दिन	निरीक्षक प्रभारी / ए0एफ0एस0पी0ओ0 निरीक्षक प्रभारी / ए0एफ0एस0पी0ओ0 निरीक्षक प्रभारी / ए0एफ0एस0ओ0 निरीक्षक प्रभारी / ए0एफ0एस0ओ0 निरीक्षक प्रभारी / ए0एफ0एस0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त उपायुक्त उपायुक्त उपायुक्त

		(vii)परित्याग प्रमाण पत्र जारी करना/ राशन कार्ड/ सदस्य पलायन/ राशन कार्ड स्थानान्तरण/ राशन कार्ड परित्याग प्रार्थना पत्र । (viii) राशन कार्ड डाटा सुधार एवं घर के मुख्या संशोधन ।	7 दिन 7 दिन	निरीक्षक प्रभारी/ ए0एफ0एस0ओ0 निरीक्षक प्रभारी/ ए0एफ0एस0ओ0	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त उपायुक्त
129	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	भवन का नक्शा/ भवन के संशोधित नक्शों की स्वीकृति	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
130	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	भवन के लिए सम्पूर्ण अधिपत्य प्रमाण पत्र जारी करना	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
131	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना (तबादला अनुमति/ दूसरा आबंटन पत्र/ पुनः आबंटन पत्र)	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
132	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	हस्तांतरण विलेख जारी करना	20 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
133	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना	10 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
134	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	विक्रय के मामले में सम्पत्ति का अंतरण	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
135	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	मृत्यु (अविवादित) के मामले में सम्पत्ति का अंतरण	45 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
136	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	गिरवी के लिए अनुमति जारी करना	7 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
137	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
138	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	स्वामित्व का परिवर्तन (मृत्यु के मामले से अन्यथा)	15 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
139	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	प्लॉटों का सीमांकन	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
140	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	कुरसी (डी पी सी) प्रमाण पत्र जारी करना	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
141	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	जल आपूर्ति तथा मल जल कनेक्शन	10 दिन	संबंधित कार्यकारी अभियन्ता/एस डी ई हुडडा	संबंधित अधीक्षक अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता मुख्यालय
142	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	जल आपूर्ति तथा मल जल कनेक्शन की स्वीकृति (औद्योगिक)	10 दिन	संबंधित कार्यकारी अभियन्ता/एस डी ई हुडडा	संबंधित अधीक्षक अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता मुख्यालय
143	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	गिरवी प्रथम प्रवाह (औद्योगिक)	15 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
144	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	नियंत्रित क्षेत्र तथा समरूप जोन (सरकार की सक्षता के सिवाए) के अंतिम प्रकाशित विकास योजना के भीतर राज्य के विभिन्न	60 दिन	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना	अपर सचिव नगर तथा ग्राम आयोजना

		नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के लिए भूमि उपयोग अनुज्ञा का परिवर्तन						
145	नगर तथा ग्राम आयोजना	नियंत्रित क्षेत्र से बाहर इकाइयों के लिए अनापति प्रमाण पत्र किन्तु नगरीय क्षेत्र के भीतर	30 दिन	वरिष्ठ योजनाकार	नगर	मुख्य योजनाकार	नगर	महानिदेशक तथा ग्राम आयोजना
146	नगर तथा ग्राम आयोजना	नियंत्रित क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र के बाहर पडने वाली इकाइयों के लिए अनापति प्रमाण पत्र	10 दिन	जिला नगर योजना कार		वरिष्ठ योजनाकार	नगर	मुख्य योजनाकार
147	नगर तथा ग्राम आयोजना	(i) पंजाब अनुसूचित सड़क और अनियमित विकास अधिनियम,1963 की नियंत्रित क्षेत्रों प्रतिबंध के प्रावधानों के तहत ईट भट्टों, व लकड़ी का कोयला भट्टों, के लिए लाइसेंस	30 दिन	जिला योजनाकार	नगर	वरिष्ठ योजनाकार	नगर	मुख्य योजनाकार
		(ii) पंजाब अनुसूचित सड़क के प्रावधानों और अनियमित विकास अधिनियम,1963 की नियंत्रित क्षेत्रों प्रतिबंध के प्रावधानों के तहत स्टोन केशर, के लिए लाइसेंस	30 दिन	वरिष्ठ योजनाकार	नगर	मुख्य योजनाकार	नगर	महानिदेशक तथा ग्राम आयोजना
148	नगर तथा ग्राम आयोजना	निम्न साइट/प्लॉट जो विवादित नहीं है पर भवन योजना की स्वीकृति:- 1) लाइसेंस आवासीय प्लॉट कालोनियां 2) औद्योगिक प्लॉट कालोनियां 3)सी एल यू गारंटड साइट जिनका क्षेत्रफल 2.0 एकड़ (8093.70 वर्ग मी0) तक है	45 दिन	जिला नगर योजना कार		वरिष्ठ योजनाकार	नगर	मुख्य योजनाकार
149	नगर तथा ग्राम आयोजना	निम्न साइट/प्लॉट जो विवादित नहीं है पर भवन योजना की स्वीकृति:- 1) लाइसेंस प्राप्त कलोनी में समुदाय साइटें जिनका क्षेत्र 5.0 एकड़ (20234.25 वर्ग मीटर) तक है। 2) सी एल यू प्राप्त साइटें जिनका क्षेत्रफल 2 एकड़ (8093.70 वर्ग मीटर) से 5.0 एकड़ (20234.25 वर्ग मीटर) तक है। 3) आवासीय प्लॉट एवं औद्योगिक प्लॉट कालोनियों में वाणिज्यिक धटक जिनका क्षेत्रफल 2 एकड़ है। 4) सभी सी एल यू प्राप्त औद्योगिक परियोजनाएं	60 दिन	वरिष्ठ योजनाकार	नगर	मुख्य योजनाकार	नगर	महानिदेशक तथा ग्राम आयोजना

150.	नगर तथा ग्राम आयोजना	(क) कम संख्या 148 और 149 के इलावा अन्य साइट की योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति (ख) सी एल यू प्राप्त औद्योगिक साइट जिनका क्षेत्र 5.00 एकड़ (20234.25 वर्ग मीटर)से अधिक है के निर्माण की स्वीकृति	90 दिन 60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना
151	नगर तथा ग्राम आयोजना	कम संख्या 148 पर वर्णित भवन जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना।	45 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
152	नगर तथा ग्राम आयोजना	कम संख्या 149 पर वर्णित भवनों के लिए प्लॉट क्षेत्र जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना।	60 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
153	नगर तथा ग्राम आयोजना	(क) कम संख्या 150 एव 151 पर वर्णित मामलों को छोड़कर जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना। (ख) सी एल यू प्राप्त औद्योगिक साइटें जिनका क्षेत्र 5.00 एकड़(20234.25 वर्ग मीटर) से अधिक है का कब्जा प्रमाण पत्र।	90 दिन 60 दिन	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना	
154	नगर तथा ग्राम आयोजना	हिन्दु विवाह अधिनियम के अधीन विवाह का पंजीकरण- उपबन्धित 15 दिन की नोटिस अवधि की समाप्ति बाद	3 दिन	तहसीलदार (ग्रामीण क्षेत्र में) सचिव नगर समिति (शहरी क्षेत्र) उप/संयुक्त नगरायुक्त (नगर निगम)	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट उप मण्डल मैजिस्ट्रेट नगरायुक्त	उपायुक्त उपायुक्त उपायुक्त
155	गृह	क) शस्त्र लाइसेंस का नवीकरण (यदि लाइसेंस समाप्ति की तिथि से पूर्व प्रस्तुत किया गया है तथा लाइसेंस जारी करने वाला जिला वही जहां सेवा मागी गई है)	15 दिन	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	जिला मैजिस्ट्रेट पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त जिला मैजिस्ट्रेट पुलिस आयुक्त	— — — —
		ख) शस्त्र लाइसेंस का नवीकरण छह वर्ष की प्रत्येक साइकिल के बाद प्रस्तुत किया गया हो जहां पुलिस सत्यापन आवश्यक है	22 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुडगांव तथा	मंडलायुक्त पुलिस आयुक्त	— मंडलायुक्त

				फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	पुलिस आयुक्त जिला मैजिस्ट्रेट पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त
156	गृह	हथियार का जमा करना/काटना (यदि अनुज्ञाप्ति जारी करने का जिला वही है जहां सेवारं मांगी गई हैं)— आवश्यक नोटिस के समाप्त होने के 45 दिन	7 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	मंडलायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	— मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त
157	गृह	हथियार खरीदने के समय का विस्तार, (यदि अनुज्ञाप्ति जारी करने का जिला वही है जहां सेवारं मांगी गई है और समय की अनुमति के दौरान)	7 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	मंडलायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	— मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त
158	गृह	विदेशियों का पंजीकरण (आगमन तथा प्रस्थान)	तत्काल	सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) अम्बाला तथा पंचकूला जिले सहायक पुलिस आयुक्त/ मुख्यालय गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफ.आर.ओ) उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए	पुलिस आयुक्त, अम्बाला तथा पंचकूला जिले उप पुलिस आयुक्त गुडगांव तथा फरीदाबाद पुलिस अधीक्षक	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त आई. जी. रेंज
159	गृह	विदेशियों के आवासीय प्रमिट का विस्तार	5 दिन	सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय अम्बाला/ शहरी क्षेत्र,	पुलिस आयुक्त	पुलिस आयुक्त

				पंचकूला/अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र सहायक संयुक्त पुलिस आयुक्त गुडगांव तथा फरीदाबाद (मुख्यालय) विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफ.आर.ओ) उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलो के सिवाए	उप पुलिस आयुक्त पुलिस अधीक्षक	पुलिस आयुक्त आई. जी. रेंज
60	गृह	एफ.आई. आर अथवा डी.डी.आर की प्रति	शीघ्र/ आनलाईन	सम्बन्धित पुलिस थाने का थाना गृह अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस आयुक्त/ संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
161.	गृह	लाउडस्पीकर प्रयोग के लिए अनापति प्रमाण पत्र (अनुमति प्रदान करने से पूर्व सम्बन्धित थाना गृह अधिकारी से अनापति प्रमाण पत्र अथवा मंडल मैजिस्ट्रेट की दशा में केवल लागू)	5 दिन	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए) उप सहायक पुलिस आयुक्त अम्बाला तथा पंचकूला जिला मुख्यालय सहायक/ पुलिस उप आयुक्त मुख्यालय/ पुलिस आयुक्त फरीदाबाद तथा गुडगांव विदेशी पंजीकृत अधिकारी (एफ आर ओ)	जिला मैजिस्ट्रेट/ उपायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त
162	गृह	फेयर/मेला/ प्रदर्शनी/खेल आयोजन इत्यादि के लिए अनापति प्रमाण पत्र	5 दिन	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए) सहायक/उपायुक्त / मुख्यालय/ अम्बाला तथा पंचकूला जिला संयुक्त/ सहायक पुलिस उप आयुक्त फरीदाबाद तथा गुडगांव (मुख्यालय)	उपायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त
163	गृह	अपरिचित सत्यापन (अन्य जिले/ राज्य सत्यापन प्राप्त करने के बाद जिसका निवास अपरिचित है)	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
164	गृह	किरायेदार/ नौकर का सत्यापन (यदि आवासीय या स्थानीय क्षेत्र)	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
165	गृह	किरायेदार/ नौकर का सत्यापन (यदि अन्य जिला/राज्य के आवासीय तथा अन्य जिले/ राज्य से सत्यापन की प्राप्ति के बाद)	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त/ संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त

165	गृह	सेवाओं से सम्बन्धित अन्य सत्यापन	30 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप अधीक्षक / उपायुक्त // संयुक्त आयुक्त	पुलिस पुलिस पुलिस	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
167	गृह	सड़क दुर्घटना मामलों में अनट्रेसड रिपोर्ट की प्रति	90 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप अधीक्षक / उपायुक्त // संयुक्त आयुक्त	पुलिस पुलिस पुलिस	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
168	गृह	चोरी हुए मामलों में वाहनों के मामलों में अनट्रेसड	90 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप अधीक्षक / उपायुक्त // संयुक्त आयुक्त	पुलिस पुलिस पुलिस	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
169.	गृह	चोरी के मामलों में अनट्रेसड रिपोर्ट की प्रति	60 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप अधीक्षक / उपायुक्त // संयुक्त आयुक्त	पुलिस पुलिस पुलिस	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
170.	गृह	पूर्व स्वामित्व वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप अधीक्षक / उपायुक्त // संयुक्त आयुक्त	पुलिस पुलिस पुलिस	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
171.	गृह	सेवा सत्यापन (हरियाणा निवासी के मामलों में)	10 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप अधीक्षक / उपायुक्त // संयुक्त आयुक्त	पुलिस पुलिस पुलिस	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
172	गृह	चरित्र सत्यापन	10 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप अधीक्षक / उपायुक्त // संयुक्त आयुक्त	पुलिस पुलिस पुलिस	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
173	गृह	हथियार लाईसैंस के नवीकरण के लिए सत्यापन	22 दिन	संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिले) डी.सी.पी. (पंचकुला तथा अम्बाला जिले) उपमण्डल मैजिस्ट्रेट / न्यायधीष (फरीदाबाद, पंचकुला, गुडगांव तथा अंबाला जिलों को छोड़कर)	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त जिला मैजिस्ट्रेट	मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त	
174	गृह	हथियार व्यवहारियों के लाईसैंस को जारी करने / नवीकरण के लिए अनापत्ति	15 दिन	संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिले) उप पुलिस उपायुक्त (अम्बाला तथा पंचकुला) जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकुला, अम्बाला, फरीदाबाद तथा गुडगांव को छोड़कर)	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त मण्डलायुक्त	मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त -----	
175	गृह	पेट्रोल पंप, सिनेमा हाल इत्यादि स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र	15 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट पंचकुला, अम्बाला, फरीदाबाद तथा गुडगांव को छोड़कर)	मण्डलायुक्त	-----	
				पुलिस आयुक्त (फरीदाबाद, पंचकुला, गुडगांव तथा अंबाला	मण्डलायुक्त	-	

				जिले)		
176	गृह	पासपोर्ट सत्यापन	21 दिन	संबन्धित पुलिस थाने का थाना गृह अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ उप पुलिस आयुक्त/ संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
177	गृह	नये हथियार लाइसेंस के लिए सत्यापन	30 दिन	उपायुक्त (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिले) उप पुलिस आयुक्त (पंचकूला) उप पुलिस आयुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) उप पुलिस आयुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	मण्डलायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	— मण्डलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त
178	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
179	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	बुढ़ापा सम्मान भत्ता (पेंशन स्कीम)	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
180	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	विकलांग पेंशन	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
181	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	हरियाणा विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन)	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
182	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	बेसहारा बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
183	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
184	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	विकलांग बच्चे जो स्कूल नहीं जाते के लिए वित्तीय सहायता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
185	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	बौना भत्ता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
186	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	हिजडा भत्ता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
187	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	एच एस सी एस टी के लिए आवेदन फार्म पी एच डी करने के लिए फ़ैलोशिप फार्म	120 दिन	मुख्य विज्ञानिक इंजीनियर एच एस सी एस टी	सचिव/ई0 सी0 एच एस सी एस टी	अध्यक्ष/ई सी एच एस सी एस टी

188	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवेदन फार्म (POSE) बी.एस. सी और एम.एस.सी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति - समापन के बाद	120 दिन	विज्ञानिक इंजीनियर(ए) एस जी	प्रधान विज्ञानिक(एस जी)	निदेशक
189	श्रम विभाग	1)1970 ठेका श्रम अधिनियम के प्रावधान के तहत ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना और लाईसेंस पंजीकरण	26 दिन	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
		2) कारखाना अधिनियम,1948 के अधीन कारखाना विभाग से योजनाओं का अनुमोदन	45 दिन	अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	श्रम आयुक्त एवं मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
		3) कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन कारखाना लाईसेंस	45दिन	अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	श्रम आयुक्त एवं मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
		4)दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत दुकार का पंजीकरण	15दिन	श्रम निरीक्षक	सहायक श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त
190.	वन विभाग	पेड़ों की कटाई की अनुमति	15 दिन	वन मण्डल अधिकारी	वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक
191.	वन विभाग	पी एल पी ए अथवा वन अथवा वन क्षेत्र से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र	15 दिन	वन मण्डल अधिकारी	वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक
192.	बागवानी विभाग	हारनेट- पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	21 दिन	उप-निदेशक उद्यान (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) उ.नि.उ (एन. एच.एम.)	संयुक्त निदेशक	मिशन निदेशक
193	बागवानी विभाग	मिंट- पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	16 दिन	उप-निदेशक उद्यान (सूक्ष्म सिंचाई) उ.नि.उ (एम.आई)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
194.	बागवानी विभाग	फूट लाईसेंस- फलदार पौधों की नर्सरी हेतु लाईसेंस जारी करना।	90 दिन	उप-निदेशक उद्यान (प्रोजेक्ट व नर्सरी) उ.नि.उ (पी.एन.)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
195	बागवानी विभाग	पॉलीनेट- पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	21 दिन	उप-निदेशक उद्यान (फल) उ.नि.उ (फ)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
196.	बागवानी विभाग	सीड लाईसेंस- सब्जी बीज की बिक्री हेतु लाईसेंस जारी करना।	90 दिन	उप-निदेशक उद्यान (सब्जी) उ.नि.उ (स)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
197.	मत्स्य विभाग	मत्स्य किसान विकास एजेन्सी के अंतर्गत ऋण एवं अनुदार की सेवाएँ:-		सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजेन्सी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा।
		i) मछली तालाब हेतु भूमि का चुनाव	10 दिन			
		ii) योजना और तालाब का अनुमान	15 दिन			
iii) ऋण हेतु बैंको को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना।	15 दिन					

		iv) मत्स्य सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रार्थना पत्र देने के बाद।	30 दिन			
198		जलमग्न भूमि क्षेत्रों के विकास के अन्तर्गत ऋण एवं अनुदार की सेवाएँ i) मछली तालाब हेतु भूमि का चुनाव ii) योजना और तालाब का अनुमान iii) ऋण हेतु बैंको को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना। iv) मत्स्य सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रार्थना पत्र देने के बाद।	10 दिन 15 दिन 15 दिन 30 दिन	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजेंसी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा।
199		मत्स्य पालकों को राजकीय मत्स्य बीज फार्मों से मत्स्य बीज सप्लाई की सेवाएँ—मत्स्य बीज संचय करना।	मास फरवरी/मार्च/ जुलाई/अगस्त/ सितम्बर	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजेंसी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा।

डी0 एस0 डेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।